विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 18351/Admin. 'G-I'/2019, Allahabad : Dated : 16.12.2019 के अनुपालन में अतिरिक्त परिवार न्यायालय, कुशीनगर स्थान पडरौना में परामर्शदाता (Counsellor) की नियुक्ति की जानी है, जिसके संबंध में शासनादेश संख्या-102/सात-न्याय-2-2015-728-86-न्याय अनुभाग-2, अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ दिनांकित 18.06.2015 द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1- आवेदक समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता है और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और वह पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता है, उसे वरीयता दी जायेगी।

2- आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।

3- परामर्शदाता का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

4- परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वह न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगा।

5- नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

जो पुरूष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हों, वे अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित दिनांक 02.01.2020 तक प्रशासनिक कार्यालय, जिला जजी, कुशीनगर स्थान पडरौना में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत् रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

दिनांक/कुशीनगर।
दिसम्बर 17 , 2019

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
अपर प्रधान न्यायाधीश,
अति० प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
परिवार न्यायालय-कुशीनगर
कुशीनगर स्थान पडरौना।